पेड़ तो लगाए पर इन्हें बचाए कौन

हर साल लाखों लगते हैं पेड़ बचते नहीं 10 प्रतिशत, करोड़ों की होती है फिजूलखर्ची

नवभारत न्यूज

पन्ना, 05 जुलाई। हर वर्ष पर्यावरण संरक्षण अभियान एवं अन्य कई नामों से वृक्ष लगाने के अभियान वर्षा ऋतु में चलाया जाता है लगभग सभी विभागों में वृक्षारोपण का लक्ष्य भी दिया जाता है और कागजों में लाखों पेड़ लगाये भी जाते हैं। लेकिन उसके बाद मॉनीटरिंग एवं रखरखाव सब कागजी कार्यवाही तक सिमट कर रह जाता है।

यही कारण है कि बमुश्किल 10 प्रतिशत पेड़ ही बच पाते हैं और फिर अगले वर्ष यही अभियान शुरू हो जाता है हर वर्ष सिर्फ करोड़ों की फिजूलखर्ची के अलावा अभियान सफल नहीं दिखाई देता है। ज्ञात हो कि गत जून जुलाई माह मे खूब चला पेड़ लगाओ अभियान, लेकिन उसके बाद के हालातों पर नहीं है किसी का ध्यान मां के नाम पर लगाएं गए थे पेड़, लेकिन अधिकांश रहे दम तोड मानिटरिंग के लिए तैनात किए गए थे अफसर, लेकिन रिकॉर्डों में वे भी रहे है दम भर यहां यह उल्लेखनीय है कि जून और जुलाई के महीने में एक पेड़ मां के नाम का अभियान इस साल चालू किया गया था। जिसमें लाखों पेड रिकार्ड मे लगाया जाना बताया गया विभिन्न सरकारी दफ्तरों के अलावा निजी स्तर पर भी पेड़ लगाए जाने की अभियान में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सबने संकल्प भी लिया कि वह पेड़ लगाएंगे और मां की तरह उन पेड़ों की सुरक्षा भी पर्याप्त तरीके से करेंगे। प्रथम दृष्टया जो आंकड़े सामने आए हैं उसके अनुसार लगभग 3 करोड़ से ज्यादा की राशि अब तक वृक्षारोपण अभियान में खर्च की जा चुकी है। आज स्थिति ये है कि लगभग 25 प्रतिशत भी पेड जीवित नहीं बच रहे हैं। इसके पीछे स्थानीय लोगों से जब कारण पूछा गया तो पता लगा कि पेड़ तो लगा दिए गए लेकिन बीच में पड़ी तेज गर्मी और धूप के चलते कुछ पेड़ सूख गए और कुछ जल गए। कमों बेस यही स्थिति हर जगह है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि पेड़ों की सुरक्षा लिए मॉनिटरिंग दल बनाया गया था लेकिन मॉनिटरिंग दल ने क्या किया, यह किसी को नहीं मालूम है। काबिले गौर तथ्य यह है कि हर साल पन्ना को हरा भरा करने के लिए व्यापक वृक्षारोपण अभियान चलाया जाता है लेकिन गर्मी के दिनों में जब पेड़ों के छाया की जरूरत होती है तब पेड़ दिखते ही नहीं है।

पिछले 5 साल में खर्च हो चुके हैं करोड़ो रूपये

इस संबंध में सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार लगातार हर साल चलाए जा रहे वृक्षारोपण अभियान में पिछले 5 साल के दौरान लगभग 10 करोड़ से ज्यादा की धनराशि का व्यय होना दिखाया जा चुका है। इसमें वन विभाग द्वारा पेड़ों के लगाने की तैयारी से लेकर उनकी सुरक्षा व्यवस्था और श्रमिक खर्च भी शामिल है। इस मुद्दे पर सबसे बड़ी बात यह है कि जब प्रशासन के पास स्वयं की मॉनिटरिंग व्यवस्था नहीं है तो पेड़ों को बचाया जाना कैसे संभव हो पाएगा।

किताब-कॉपी से लेकर यूनिफॉर्म तक कमीशन तय

नवभारत न्यूज

पन्ना, 05 जुलाई। नया शैक्षणिक सत्र शुरू होते ही निजी स्कूलों में अभिभावकों से लूट शुरू हो गई। किताब कॉपी से लेकर यूनिफॉर्म तक सब तय दुकानों से खरीदने का दबाव बनाया जा रहा है। ताकि, स्कूल संचालकों को अधिक से अधिक कमीशन मिल सके।

कहने को सभी स्कूलों में एनसीईआरटी की किताबें अनिवार्य कर दी गई है, लेकिने निजी स्कूल बेहतर शिक्षा के नाम पर एनसीआरटी से ज्यादा प्राइवेट पब्लिकेशन की किताबें चलाते हैं। विडंबना यह है कि यह किताबें सिर्फ उन्हीं दुकानों में उपलब्ध हैं, जिनका स्कूल संचालकों से साठगांठ है।

गलती से किमी और प्रकाशन की उसी पाठ्यक्रम की अन्य किताब ले आए तो अस्वीकार कर दिया जाएगा। स्थिति यह है कि प्राथमिक कक्षाओं की किताबें दो से तीन हजार तक की मिलती हैं। कुछ ऐसी स्थिति बच्चों के यूनिफॉर्म को लेकर है।

बच्चों के भविष्य के डर से पालक मौनः- अभिभावक बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाना चाहता है। कुछ कक्षाओं में प्रैक्टिकल के अंक शिक्षकों के हांथ में होते हैं। वे बच्चों का नुकसान न कर दें। इस डर से लोग विद्यालय प्रबंधन की मनमानी की शिकायत नहीं करते। एक स्टेशनरी संचालक ने बताया कि स्कूलों व स्टेंशनरी की सेंटिंग सीधे ऊपर से होती हैं।

ऐसे समझे कमीशन का खेलः- दरअसल निजी स्कूलों में 40 प्रतिशत तक कमीशन प्राइवेट पब्लिकेशन की किताबों का है। दुकानदार को 10 से 15 प्रतिशत कमीशन मिलता है बाकी पब्लिकेशन के पास जाता है यानी छात्र 100 रुपये की किताब खरीदता है तो 40 रुपये स्कूल को, 10 से 15 रुपये बुकसेलर को और 45 से 50 रुपये पब्लिकेशन को जाता है।

एनसीईआरटी से नहीं मिलता है कमीशन

एनसीईआरटी की किताबें को निजी विद्यालय इसलिए दरकिनार करते हैं क्योंकि उसमें उनको कोई कमीशन नहीं मिलता है। बुक डिपों की ओर से थोक विक्रेता यानी एजेंट को मूल्यी में 20 फीसदी की छूट के साथ किताबें उपलब्ध होती हैं। नियमानुसार थोक विक्रेता को 15 प्रतिशत की छूट के साथ किताबे फुटकर विक्रेताओं को उपलब्ध कराना पडता है।

दस लाख खर्च करने के बाद भी नहीं सवर पाई प्राचीन बावड़ी की सूरत

नवभारत न्यूज

पन्ना, 05 जुलाई। नगर के वार्ड क्रमांक 12 स्थित सिंचाई कॉलोनी में दीनदयाल रसोई के पास मौजूद 300 वर्ष पुरानी ऐतिहासिक बावड़ी आज भी उपेक्षा का दंश झेल रही है। जीर्णोद्धार पर लगभग 10 लाख रूपये खर्च किए जाने के बावजूद बावड़ी की सूरत नहीं बदल सकी है।

हालात यह है कि वर्षो से ढह चुकी सीढ़ियां जस की तस पड़ी हैं और संरचना अब भी खतरे की जद में दिखाई दे रही है। मई 2025 में जब बावड़ी के जीर्णोद्धार कार्य की शुरूआत हुई थी, तब शहरवासियों में उम्मीद जागी थी कि यह ऐतिहासिक धरोहर फिर से अपने पुराने वैभव को प्राप्त करेगी। लोगों को लगा था कि साफसफाई, सीढ़ियों की मरम्मत और सुरक्षा इंतजामों के बाद यह बावड़ी न केवल संरक्षित होगी, बल्कि शहर की पहचान भी बनेगी। लेकिन सात माह बीत जाने के बाद भी कार्य अधूरा है और उम्मीदें टूटती नजर आ रही है। बावड़ी के नाम पर अब तक सिर्फ एक ओर की बाउंड्री दोबारा बनाई गई है। सुरक्षा के लिहाज से जरूरी जाली तक नहीं लगाई जा सकी है। यहां समुचित सुरक्षा व्यवस्था किए जाने की जरूरत है।

न झाड़ियों साफ हुई न मलबा हटवाया

बावड़ी के भीतर मलबा भरा हुआ हैं। वहीं चारों ओर उगी झाड़ियां और गंदगी इसकी बदहाली को और उजागर कर रही हैं। स्थानीय लोगों का कहना हैं कि लाखों रूपये खर्च होने के बाद भी यदि स्थिति जस की तस बनी हुई हैं, तो यह काम की गुणवत्ता और निगरानी पर सवाल खड़े करता है। नागरिकों ने मांग की है कि अधूरे पड़े कार्य को जल्द पूरा किया जाए। मलबा हटाकर सीढ़ियों को पुनर्निमाण किया जाए। बावड़ी को सुरक्षित व संरक्षित किया जाए, ताकि यह ऐतिहासिक धरोहर आने वाली पीढ़ियों के लिए बची रह सके। नगर पालिका प्रशासन से इस दिशा में ध्यान देने के लिए कहा गया है।

शाहनगर में दर्जनों हाइवा रेत डंप होने से उठे सवाल, हाईवे किनारे रेत का भंडारण

नवभारत न्यूज

पन्ना, 05 जुलाई। पन्ना-कटनी राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे शाहनगर क्षेत्र में कथित रूप से बिना वैध स्टॉक लाइसेंस के बड़ी मात्रा में रेत का भंडारण किए जाने का मामला सामने आया है।

सड़क किनारे दर्जनों हाइवा रेत डंप होने से स्थानीय लोगों ने अवैध भंडारण और बिक्री की आशंका जताई है। लोगों का कहना है कि राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे खुलेआम बड़ी मात्रा में रेत जमा की गई है। यह भंडारण बारिश शुरू होने से पहले किया गया है ताकि वर्षाकाल में जब खनन गतिविधियां बंद या प्रभावित हों, तब ऊंचे दामों पर रेत की बिक्री की जा सके। खनिज नियमों के तहत बिना वैध स्टॉक लाइसेंस के सीमित मात्रा से अधिक रेत का भंडारण नहीं किया जा सकता। सामान्य परिस्थितियों में दो हाइवा तक रेत रखने की अनुमति होती है लेकिन शाहनगर क्षेत्र में कथित रूप से दर्जनों हाइवा रेत एकत्र होने से नियमों के पालन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। भंडारण बिना अनुमति किया गया है तो इससे शासन को राजस्व की हानि होने के साथ खनिज नियमों का भी उल्लंघन हो रहा है। उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है।

घर-घर संपर्क से नागरिकों को किया गया सतर्क

नवभारत न्यूज

पन्ना, 05 जुलाई। मध्यप्रदेश पुलिस द्वारा संचालित राज्य स्तरीय साइबर सुरक्षा जन-जागरूकता अभियान सेफक्लिक-2026 2.0 के अंतर्गत पन्ना जिले में साइबर अपराधियों के खिलाफ एक बड़ा मोर्चा खोला गया है।

पुलिस अधीक्षक पन्ना श्रीमती निवेदिता नायडू के कुशल निर्देशन में अभियान के 12वें दिवस जिले के समस्त थाना क्षेत्रों में मुनादी एवं विशेष जागरूकता विषय पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। जिले के विभिन्न ग्रामों और कस्बों में कोटवारों के माध्यम से पारंपरिक ढंग से मुनादी करवाकर आमजन को साइबर खतरों के प्रति आगाह किया गया। इसके साथ ही जमीनी स्तर पर पकड़ रखने वाले आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, पंचायत प्रतिनिधियों, ग्राम सचिवों, रोजगार सहायकों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने घर-घर दस्तक दी और नागरिकों को सुरक्षित डिजिटल व्यवहार अपनाने के लिए प्रेरित किया। घर-घर संपर्क अभियान के दौरान सुरक्षात्मक उपायों पर विशेष जोर देते हुए नागरिकों को कड़े शब्दों में समझाया गया कि वे किसी भी अज्ञात या संदिग्ध व्यक्ति के कहने पर अपना बैंक खाता, एटीएम कार्ड, चेकबुक, ओटीपी, यूपीआई पिन, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड जैसी अत्यंत गोपनीय जानकारियां कभी भी साझा न करें। साथ ही किसी भी अज्ञात लिंक पर क्लिक करने और अज्ञात स्रोत से प्राप्त एप या एपीके फ़ाइल को डाउनलोड करने से पूरी तरह बचने की सलाह दी गई। यदि कोई खुद को अधिकारी बताकर डराने, धमकाने या पैसे ट्रांसफर करने का दबाव बनाए, तो बिना डरे तत्काल इसकी सूचना नजदीकी पुलिस स्टेशन को दें। इस पूरे महा-अभियान के दौरान राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 और राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल का व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार किया गया।

आमजन को बताया गया कि यदि किसी कारणवश वे साइबर धोखाधड़ी के शिकार हो जाते हैं, तो बिना एक पल गंवाए तत्काल 1930 पर कॉल करें या आधिकारिक पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज कराएं, क्योंकि गोल्डन ऑवर में समय पर की गई शिकायत से ठगी गई धनराशि को होल्ड या रिकवर किए जाने की संभावना काफी ज्यादा बढ़ जाती है।

धुंए से ज्यादा धूल का प्रदूषण खतरनाक

नवभारत न्यूज

पन्ना 05 जुलाई। सड़कों पर होने वाले निर्माण कार्य प्रदूषण को बढ़ाने में अपनी महती भूमिका निभा रहे हैं और यह प्रदूषण सबसे ज्यादा मानव के लिये हानिकारक बताया जा रहा है।

निर्माण कार्य के दौरान बालू पत्थर, मिट्टी आदि से निकलने वाले डस्ट सीधे मानव के नॉक, मुंह के रास्ते श्वास नलिका को प्रभावित करती है। वहीं धूल से अंधत्व भी बढ़ता जा रहा है। विशेषज्ञों की माने तो यह धूल वाहनों से निकलने वाले धुंए से भी ज्यादा मानव शरीर के लिये हानिकारक होता है। धूल प्रदूषण की समस्या से शहर सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहा है। कारण यह कि बनाई गई सड़कों के बाद खाली पड़े स्थानों मे जहां मिट्टी और पत्थर पड़े होते हैं वही जगह जगह होने वाले निर्माण कार्य के बाद उसकी सफाई को लेकर ध्यान नहीं दिया जाता है और उससे फैली सामग्री सड़कों में डस्ट बनकर वाहनों के पहिए से हवा में फैलती है जो सीधे मानव के नाक और मुंह से प्रवेश करती है जिससे दमा, आंखों में जलन सहित अन्य तरह की बीमारी से प्रभावित हो रहा है। शहरी क्षेत्र में जो भी सड़कें बनी है उसमें पर्याप्त धूल तो है ही उसका एक कारण यह है कि सड़क से लगा हुआ खाली स्थान भी मिट्टी, बलुई धूल से भरा रहता है और यह सड़कों पर फैलने के साथ ही वाहन सड़क से जैसे ही नीचे पहुंचते हैं वह पूरा वातावरण में धूल फैल जाती है। धूल प्रदूषण से बचाने के लिये विशेषज्ञों का कहना हैं कि सड़कों के साथ साथ उससे लगा हुआ खाली स्थान को भी धूल मुक्त रखा जाना चाहिए। वहीं निर्माण कार्य के दौरान रेत, गिट्टी व अन्य निर्माण सामग्री सुरक्षित स्थान पर रखने सामग्री को सुरक्षित स्थान रखने के साथ ही निर्माण कार्य पूरा होने के बाद ऐसी सामग्री को हटाने के बाद उक्त स्थान को धूल और मिट्टी से मुक्त बनाना चाहिए जिससे ऐसी धूल वातावरण में न फैल सके।

सड़क पर फैली दुकानें बन रहे हादसे की वजह

सड़क पर खड़े रहते हैं अव्यवस्थित वाहन

नवभारत न्यूज

पन्ना, 05 जुलाई। जिला मुख्यालय में वाहनों का जाम लोगों के लिये मुसीबत बन चुका है।

जहां सुबह 8 बजे के बाद सड़क के दोनों तरफतथा बीच रोड में टैक्सियां तथा ऑटों इस तरह आकर खड़े हो जाते हैं कि दो पहिया वाहनों के निकलने के लिये भी जगह शेष नहीं रह जाती है। पैदल चलने वालों को भी कठिनाई का सामना करना पडता है।

सड़क तक फैली दुकान

एक तरफजहां मुख्य मार्ग पर वाहनों का हाल ऐसा है कि लोगों को निकलने के लिये जगह नहीं बचती है। वहीं कुछ सरहंग किस्म के दुकानदारों ने तो रोड की पटरी तक अपनी दुकानों का विस्तार कर लिया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि नगरपालिका के कर्मचारियों, अधिकारियों की ऊपरी कमाई अवैध विस्तार से हो रही है। यही वजह है कि कार्रवाई नहीं की जाती। सड़क पर खड़े रहने वाले वाहनों और अवैध अतिक्रमण से अन्य दुकानदारों को आपत्ति भी होती है क्योंकि ऐसी स्थिति मे अंदर की दुकानें ओझल हो जाती हैं । यूं तो अभी तक कोई बड़ी घटना या दुर्घटना नहीं हुई है। हल्की मुल्की चोटें खरोच तथा तू तू मैं, मैं के बाद मामला सुलझ जाता रहा है। लेकिन सरहंगों की दादागिरी तथा प्रशासनिक लापरवाही और उदासीनता के चलते किसी दिन बड़ी घटना या दुर्घटना घटित हो सकती है।

पन्ना टाइगर रिजर्व के झिन्ना आश्रम का कभी ना खाली होने वाले रहस्यमयी कुंड

नवभारत न्यूज

पन्ना, 05 जुलाई। पन्ना जिले के जंगलों और पहाड़ों में कई रहस्यमई ऐतिहासिक और प्राचीन स्थल देखने को मिल रहे हैं जहां का रहस्य इस आधुनिक युग में भी बरकरार है, ऐसा ही एक रहस्यमय स्थान पन्ना टाइगर रिजर्व के घने जंगलों के बीच ग्राम जरधोवा के पास देखने को मिला है।

जहां बाघ और तेंदुआ जैसे हिंसक वन्यप्राणी भी आसानी से देखने को मिल जाते हैं, इसके बाद भी यहां साधु संत बेखौफ होकर रहते हैं। यहां 2 रहस्यमय कुंड मौजूद हैं जिन्हें गंगा और यमुना कहा जाता है जो हजारों वर्ष प्राचीन बताए जा रहे हैं, इनकी विशेषता यह बताई जा रही है कि 4 हॉर्स पावर का पंप चलाने से भी यह कभी खाली नहीं होते, यमुना कुंड में जमीन से एक पानी की अनोखी झिर फूटी है, जिससे इस कुंड में हमेशा पानी की लहर उठती रहती है एवं इस कुंड के पानी को औषधीय गुणों से भरपूर बताया जाता है जिसका स्वाद भी नींबू और आंवले जैसा लगता है जिसके नियमित सेवन से पेट एवं अन्य असाध्य रोगों से मुक्ति मिलती है, इस आश्रम में लगभग 22 वर्षों से निवास कर रहे महाराज सतानंद जी ने बताया कि यहां आसपास के ग्रामों के लोग अपनी मनोकामना लेकर आते हैं और आश्रम के मंदिर में विराजे दक्षिण मुखी हनुमान जी के सामने अपनी अर्जी लगाते हैं जिसे वह पूरी करते हैं जिससे लोगों की यहां के प्रति गहरी आस्था है।

पेट्रोल पंपों में हवा पानी और प्रसाधन की सुविधा नहीं

रसूखदार नेताओं के सामने नियम फेल

नवभारत न्यूज

पन्ना, 05 जुलाई। जिला मुख्यालय सहित जिले के कस्बाई इलाकों में खुले पेट्रोल पंप लगभग 95 प्रतिशत रसूखदार राजनेताओं के हैं और इनमें हवा, पानी एवं प्रसाधन की सुविधा नहीं है। पानी तो कहीं कहीं मिल जाता है लेकिन वह भी शुद्ध नहीं रहता है। हवा की टंकियां जर्जर हालत मे शोपीस के लिए रखी रहती है। जो कभी आज तक शुरू नहीं हुई।

शौंचालयों में ताला लटका रहता है लघुशंका तक की सुविधा उपलब्ध नहीं है। राजनेताओं के पेट्रोल पंप होने के कारण प्रशासनिक अधिकारी कभी निरीक्षण करने का साहस तक नहीं जुटा पाते। शहर के पेट्रोल पंप में ग्राहकों के लिए न नि:शुल्क हवा की व्यवस्था है और न ही पेयजल की। वाटर कूलर और कप्रेशर बंद पड़े हुए हैं। पेट्रोल पंप आने वाले ग्राहकों को पानी तक नसीब नहीं हो पा रहा है। पेट्रोलियम कंपनियों के अधिकारी भी उपभोक्ता सुविधाओं को लेकर ध्यान नहीं दे रहे हैं। गत दिवस जब शहर के पेट्रोल पंपों का रियलटी चेक किया। इस दौरान पेट्रोल पंपों पर उपभोक्ताओं को मिलने वाली सुविधाएं पूरी तरह से नदारद थीं। कहीं वाटर कूलर खराब पड़े थे तो कहीं सुविधा घरों में ताला लटक रहा था। पेट्रालियम कंपनियों और उनके डीलर उपभोक्ता सुविधाओं को लेकर सालों से लापरवाही बरत रहे हैं।

लाइसेंस प्रक्रिया समाप्त होने का उठा रहे फायदा

पेट्रोल-डीजल पंप संचालकों को पेट्रोलियम एक्ट 1980 के तहत जिला प्रशासन से लाइसेंस लेना अनिवार्य था। तब जिला प्रशासन का पेट्रोल पंप संचालकों पर नियंत्रण रहता था। राज्य सरकार ने वर्ष 2019 में लाइसेंस प्रथा बंद कर दिया है। पेट्रोल-डीजल पंप संचालकों को अब लाइसेंस लेना अनिवार्य नहीं है। सुविधाविहीन पंपों पर कंप्रेशर और हवा भरवाने के उपकरण तक नहीं हैं। यदि किसी पंप पर है भी तो वह शो पीस के रूप में उपलब्ध हैं। पेयजल व शौचालय की सुविधा से भी उपभोक्ता वंचित हैं। सबसे ज्यादा परेशानी महिलाओं को होती है।

ग्राम पंचायतों में सामग्री खरीदी के लिये माल क्रय अधिनियम का पालन नहीं

बिना निविदा करोड़ों की खरीदी, मनमानी दर और भुगतान का खेल

नवभारत न्यूज

पन्ना, 05 जुलाई। ग्राम पंचायतों में सामग्री क्रय के लिये कौन से नियम लागू हैं? उन नियमों का पालन कितना हो रहा है? यदि नहीं हो रहा तो सक्षम अधिकारियों द्वारा क्या कार्रवाई की गई? यदि नहीं की गई तो क्यों? इस तरह के सवाल इसलिये उठते हैं क्योंकि सामग्री खरीदी में लंबे समय से अनियमितता के आरोप लग रहे हैं।

करोड़ों की सामग्री क्रय कर ली जाती है किन्तु कोई प्रक्रिया नहीं अपनाई जाती है। वेण्डर फर्जी बिल जारी करता रहता है और पंचायतें उसका भुगतान करती रहती हैं। जबकि सक्षम अधिकारी पूरी तरह से मौन बैठे रहते हैं। आयकर से लेकर विक्रय कर तक सभी चुप्पी साध लेते हैं जबकि वेण्डरों के लिये नियम है कि उनके पास वैधानिक एवं जीवित टिन नम्बर होना चाहिये, जीएसटी नम्बर होना चाहिये। किन्तु यहां देखा जाता है कि कई ऐसे वेण्डरों के नाम पर भी फर्जी भुगतान होता रहता है जिनके पास टिन नम्बर एवं जीएसटी नम्बर तक नहीं होता। ऐसी स्थिति में सरकार को मिलने वाला टैक्स भी वेण्डरों के द्वारा हजम कर लिया जाता है।

खरीदी के लिये लागू हैं नियम किन्तु उसका पालन नहीं होता - ग्राम पंचायतों में सामग्री खरीदी के लिये सामग्री माल क्रय अधिनियम 1999 लागू हैं। जहां सामग्री खरीदी के लिये पंचायतों को बिना निविदा प्रतिमाह पांच सौ तक व्यय करने का प्रावधान किया गया है। किन्तु पांच सौ से अधिक की सामग्री क्रय की जानी है तो 50 हजार तक के लिये ग्रामसभा से अनुमोदन लेना जरूरी है। इसके बाद यदि जनपद व जिला पंचायतों की अनुमति से निविदा के माध्यम से सामग्री खरीदी की जानी चाहिये।

किन्तु जांच हो जाय तो किसी भी पंचायत में ऐसा नहीं मिल सकता है जहां सामग्री खरीदी में लाखों का भुगतान किये जाने के पहले निविदा आमंत्रित की गई हो और सबसे कम निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म को अनुमति दी जाय। देखा जाता है कि सरपंच सचिव जिस वेण्डर को चाहते हैं उसी से फिक्सिंग कर लेते हैं और फिर लगातार उसी फर्म से सामग्री खरीदी का बिल जारी करवाते रहते हैं। यही कारण है कि पूर्व में ऐसे भी प्रकरण प्रकाश में आ चुके हैं जो वास्तव में कंप्यूटर की दुकानें संचालित कर रहे थे किन्तु उनके द्वारा ईंटा, पत्थर, लोहा, सरिया आदि के भी बिल जारी किये गये। जांच हुई और दोषी पाये गये तो एफ्आईआर के निर्देश हुये किन्तु आज तक पता नहीं चला कि एफ्आईआर हुई भी या नहीं। इसलिये यह बात सत्य है कि ग्रामीण विकास विभाग में सामग्री खरीदी के लिये कोई नियम प्रभावी नहीं है। पंचायतों को मनमानी की छूट देकर फर्जी खरीदी दिखाई जाती है। ऐसे कार्य जमीन में दिखाई नहीं देते किन्तु उनके नाम पर लाखों करोड़ों की राशि खर्च हो जाती है। जिसमें मजदूरों के नाम पर फर्जी भुगतान के साथ ही सामग्री खरीदी में भी फर्जीवाड़ा किया जाता है।

पंचायत में कई प्रमाण

पंचायत दर्पण का रिकार्ड बताता है कि पंचायतों में कार्यों के नाम पर जहां एकमुश्त राशि जारी हो रही हो, सामग्री के नाम पर फर्जी आहरण किया जा रहा हो वहां सब कुछ पोर्टल पर आनलाइन होने के बाद क्या समीक्षा की जाती है। पूरा डाटा आनलाइन होते हुये भी यदि जनपद व जिला पंचायत से कोई मानीटरिंग नहीं होती, राज्य स्तर से कोई मानीटरिंग नहीं होती तो इसका मतलब है कि नीचे से ऊपर तक कमीशनखोर बैठे हुये हैं। शिकायतें होती हैं तो उनमें भी जांच करने में हीलाहवाली की जाती है।

मजदूरी के पैसों को लेकर ठेकेदार पर लाठियों से हमला, हालत गंभीर

नवभारत न्यूज

पन्ना, 05 जुलाई। पन्ना शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले आगरा मोहल्ले में एक शादी समारोह में खाना बनाने का काम करने वाले मजदूर ने बकाया पैसों की मांग पूरी न होने पर अपने ही 55 वर्षीय ठेकेदार पन्ना लाल गुप्ता पर लाठी-डंडों से जानलेवा हमला कर दिया।

इस बर्बर हमले में ठेकेदार के सिर पर गंभीर चोटें आई हैं, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल पन्ना में भर्ती कराया गया है, जहाँ उनका उपचार जारी है। घायल ठेकेदार पन्ना लाल गुप्ता ने पुलिस को बताया कि उन्होंने एक शादी का ठेका लिया था, जिसमें आरोपी मजदूर गोपाल रैकवार ने खाना बनाने का कार्य किया था। ठेकेदार का पक्ष है कि मुख्य पार्टी से समय पर भुगतान न मिलने के कारण वे मजदूरों के पैसे नहीं दे पाए थे। इसी बात से नाराज होकर शुक्रवार की रात गोपाल रैकवार सीधे ठेकेदार के घर पहुँच गया और अपने पैसों की मांग करने लगा। देखते ही देखते दोनों पक्षों के बीच शुरू हुई कहासुनी गाली-गलौज में बदल गई और तैश में आकर गोपाल ने लाठी-डंडों से ठेकेदार पर हमला बोल दिया। सिर पर वार होते ही ठेकेदार लहूलुहान होकर मौके पर ही गिर पड़े। शोर-शराबा सुनकर आसपास के लोग तुरंत इकट्ठा हुए और बीच-बचाव करते हुए घायल ठेकेदार को अस्पताल पहुँचाया। घटना की जानकारी मिलते ही कोतवाली पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए मामला दर्ज कर लिया है और कानूनी जांच शुरू कर दी है।